न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 214–दो/90 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–10–90 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 95/82–83/पुनरीक्षण.

---

किशनसिंह पुत्र छोटेसिंह
निवासी ग्राम गादेर
तहसील व जिला गुना ——— आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत
2– महिला साजन्दे विधवा बल्देव सिंह
निवासीगण ग्राम बोरखेडा तहसील
व जिला गुना
3– म0प्र0 शासन ——— अनावेदकगण

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुंरकर ।
अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल ।

---

:: आदेश ::
( आज दिनांक 15-09-2014 को पारित)

---

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर सभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 95/82–83 में पारित आदेश दिनांक 5–10–1990 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अनावेदक के पक्ष मे कोई पट्टा प्रदान नहीं किया गया इस तथ्य के अकाट्य प्रमाण होते हुए भी अपर आयुक्त ने पट्टे की कल्पना करने में गंभीर भूल की है । जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था । अनावेदक के हित में पट्टे की कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई । प्रश्नाधीन भूमि पर कभी अनावेदक का आधिपत्य नहीं रहा ।

अनावेदक द्वारा तथाकथित पट्टा कभी न्यायालय में पेश नहीं किया गया उसकी छाया प्रति पेश की गई । अपर आयुक्त ने जिन न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया वे प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए संबंधित नहीं हैं ।

4– अनावेदक क्र. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । 18 वर्ष से अधिक समय पूर्व से अनावेदक का नाम रिकार्ड में दर्ज है । आवेदक की प्रकरण में कोई locus standi नहीं है और ना ही उसे निगरानी करने का अधिकार है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि का पट्टे पर व्यवस्थापन के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने विस्तृत आदेश में यह व्यक्त किया है कि सन् 1960 में पट्टा जारी हुआ है और उसके संबंध में तहसील में यदि अभिलेख नहीं था या अभिलेखागार में कोई पंजी नहीं थी तो उसको सिद्ध करने का भार शासन पर था जो शासन ने नहीं किया है । उक्त आधार पर उन्होंने व्यवस्थापन को विधिवत मानते हुए और यह मानते हुए कि 18 वर्षों तक आवेदक ने आपत्ति क्यों नहीं की और वह चुप क्यों रहा और यदि वह व्यवस्थापन का पात्र तो उसे पहले मांग करना थी ऐसा न करते हुए उसने अपने स्वयं के आचरण से संदेह उत्पन्न किया है । इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए व्यवस्थापन को उचित मानते हुए स्थिर रखा है । उनके आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर